लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/ई/बी.ई.ओ./पदो./21/2009–10/1665 भोपाल, दिनांक 28-09-2010

//आदेश//

विभागीय भर्ती तथा पदोन्नति नियम–1982 एवं इस नियम में राजपत्र दिनांक 21.03.2007 द्वारा किये गये संशोधन तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 में निहित प्रावधनों के अन्तर्गत आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.05.2010 में समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को (वेतनमान 6500–200–10500) में सेवानिवृत्ति उपरांत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत करते हुये प्रोफार्मा पदोन्नति दिनांक 01.10.08 से प्रदान की जाती है :–

स.क.	प्र.अ. पद पर वरिष्ठता दिनांक	जिला का नाम	प्रधानाध्यापको का नाम	वर्तमान पदस्थापना	प्रवर्ग (जाति)
1	2	3	4	5	6
1	19/09/85	रतलाम	श्री देवेन्द्र चोपड़ा	शा. मा.वि.अगरजी का मंदिर रतलाम	सामान्य
2	06/02/86	जबलपुर	श्री सी.पी. भटनागर	शा.मा.वि. धमापुर	सामान्य
3	25/07/86	होशंगाबाद	श्री रमेश चंद्र यादव	बी.आर.सी. कार्या. सिवनी मालवा	अपिवर्ग
4	29/08/86	इंदौर	श्री दामोदर भार्गव	शा.मा.वि.कन्या महू	सामान्य
5	04/10/86	इंदौर	श्री अंबाराम ठाकुर	शा.मा.वि.भालण्डी	सामान्य
6	25/10/86	जबलपुर	श्रीमती किशोरी दुबे	शा.मा.वि.पुलिस लाइन खमरिया	सामान्य
7	18/11/86	विदिशा	श्री रामबाबू सक्सेना	शा.मा.वि.माधवगंज क्र.2	सामान्य
8	11/05/87	जबलपुर	श्रीमती सुदर्शन छाबड़ा	शा.मा.वि. कमला नेहरु नगर	सामान्य
9	18/06/87	देवास	श्री रमेश चंद्र अभय	शा.मा.वि.बा. देवली	अपिवर्ग
10	20/10/87	भिण्ड	श्री राम रक्षा दातरे	शा.मा.वि. कोहार	सामान्य
11	20/10/87	भिण्ड	श्री सुखपाल सिंह कुशवाह	शा.मा.वि. पुरानी बस्ती भिण्ड	सामान्य
12	30/10/87	देवास	श्री लक्ष्मी नारायण बैसवाल	शा.मा.वि. कन्या पीपलरोवा सोनकच्छ	अपिवर्ग
13	31/10/87	इंदौर	श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव	शा.मा.वि. बजरंगनगर	सामान्य

<u>उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी</u> :–

1. दिनांक 01.10.2008 की स्थिति में सामान्य वर्ग के दिनांक 15.06.88 तक के,अनुसूचित जाति वर्ग के दिनांक 09.12.94 तक के एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के दिनांक 25.11.96तक के प्रधानाध्यापक माध्यमिक विधालय से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत हो चुके है । अतः छूटे हुये पदोन्नति प्रकरणों की स्थिति जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक अपने स्तर से जांच कर पुष्टि कर ले कि उक्त दिनांको में उपरोक्त पदोन्नत प्रधानाध्यापको में से उनसे कनिंष्ठ प्रधानाध्यापको जिन्हें पदोन्नति आदेश दिनांक 01.10.2008 से पदोन्नति दे दी गई है तो ऐसी स्थिति में उनसे वरिष्ठ छूटे हुये लोक सेवकों को "काम नहीं दाम नहीं" के सिद्धांत के आधार पर पत्र वरीयता के रूप में देय होगी ।

2. यदि वरिष्ठता क्रम/वरिष्ठता दिनांक के अतिरिक्त व गलत प्रवर्ग अंकित होने के कारण कोई लोकसेवक पदोन्नत हो गया हो तो ऐसे प्रकरणों की सेवापुस्तिका एवं सेवा अभिलेख के आधार पर पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें ।

3. पदोन्नत लोक सेवक के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें कि जिन प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई है वह पदोन्नति के योग्य होना चाहिए तथा जिस प्रवर्ग से पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई है उसी प्रवर्ग का सदस्य होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उनकी वरिष्ठता तिथि पदोन्नति हेतु अनुशंसित आदेश में अंकित वरिष्ठता दिनांक के अनुरुप ही होना चाहिए।

4. पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से इस बात की भी पुष्टि कर ली जायें कि वे सभी प्र. अ. मावि पद की राज्य स्तरीय प्र.अ. मा.वि. की वरिष्ठता के आधार पर ही हुई है ? अन्य पद की वरिष्ठता से इस पदोन्नति का कोई संबंध नहीं हैं।

5. पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से यह भी पुष्टि कर ली जाए कि वह स्कूल शिक्षा विभाग का ही प्रधानाध्यापक है। अन्य विभाग यथा आदिम जाति कल्याण विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग आदि के तो नहीं परंतु यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के परस्पर हस्तांतरण संस्थाओं के लिए म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ–44–27/94/20–2 दिनांक 03.01.06 के अंतर्गत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियन किया गया है और पदोन्नत किया गया है, तो वह पदोन्नति का हकदार होगा । आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जिन लोक सेवकों का संविलियन किया गया है उनकी वरिष्ठता की पुष्टि उनके सेवा अभिलेख एवं सुसंगत संविलियन आदेशों से कर ली जावें । किसी विसंगति की स्थिति होने पर उससे तत्काल संचालनालय को अवगत करावें ।

6. ऐसे लोक सेवको का अर्न्तविभागीय स्थानान्तरण हुआ हो तो उन प्रधानाध्यापको की वरिष्ठता शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। यदि किसी पदोन्नत लोक सेवक के संबंध में उपरोक्त शर्त की पूर्ति नहीं होती है, उनकी पदोन्नति निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव अभिलेखित साक्ष्य सहित संचालनालय को तत्काल भेजा जावे।

7. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 11 जून 2002 में दिये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में उल्लेखित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

28/9

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश
भोपाल ,दिनांक 28-09-10

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.2/ई/बी.ई.ओ./पदो./21/2009–10/1666
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. जिला–कलेक्टर रतलाम, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, विदिशा, देवास एवं भिण्ड मध्यप्रदेश ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन, जबलपुर, ईंदौर, सागर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रतलाम,जबलपुर,होशंगाबाद,इंदौर,विदिशा,देवास एवं भिण्ड मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला रतलाम, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, विदिशा, देवास एवं भिण्ड म.प्र. ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा जिला रतलाम, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, विदिशा, देवास एवं भिण्ड मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित पदोन्नत लोक सेवक ।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश